विषय: - W.P. No. 5737/2015 हो. आहे. के स्पूरी भिक्तक भूगीयम आका देशिया केंग आन्धा। मंत्री जी, उच्च शिक्षा

R.NO. 1206/2015/38-3

क्ट्रिक न्यायात्म प्रकार के छाप मा का 8066 मिलाक 28.4.15 का द्वारा

- अवलेकार करे।

-उच्च न्मामस्य में जाप W-P. NO. 5737/2015 में . आर्जि-के . मेसूकी किरावा युक्तिया P-1/C भाष देशिमा क्ले मन्य भाषिका डाप्र हते 老

315 नार: डाप्र आर्यकां की चात्रा अति अध्यक्त म्हन्य स्त्रीवृत्त की मेख कर प्रकरण हैं अभ्रमानुसार भावत्रका मार्थारी स्क्री अपने हैं। कर दिखा जाना अपने अस्ति है।

क्या भारत्यार

R.No. 1206/2015/38-3 विषय: - W.P. No. 5939/2015 डॉ. आर्र. के. अंद्रिरी का विभाग विभाग केरिकार मुनी महा आरा केरिकार छब्बीस-२ सचिवालय क्ष मा कर: -मामका की की किया का का प्राच्या प्रमुखे हारी वही का का प्राच्या प्रमुखे हारा व्यवस्था अभिगं-इक्ताक्षर केत् अवत्र D/Bougsial/2 6/6/05 925

विषय :

डब्ल्यू०पी० कमांक 5739/2015 श्री/श्रीमती मा का विभाग अर् के. अंद्रुक्त विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य ।

पंजी. कमांक- 1810 /2015 /38-3

कृपया विचाराधीन पत्र तथा संलग्न याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री/श्रीमती मत्त्र के सेन्स्र की वारा मान0 उच्च न्यायालय में डब्ल्यू०पी० कमांक ५१५१ । दायर की गई हैं आयुक्त, उच्च शिक्षा को पत्र की याचिका सहित छायाप्रति भेजकर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं प्रतिरक्षण रांबंधी कार्यवाही करते हुए प्रकरण में प्रभारी अधिकारी को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने के लिए लिखा जाना उचित होगा ।

. तदनुसार पत्र अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है ।

अनुभाग अधिकारी

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - W. P. NO. 5439/15 कार्र-के अंक्ट्रेस विकट्ट प्रक्रिय का विभाग

सि अन्य के: -

RNO-208/2016/383

P-87/C

अस्त मात्राह्म विश्व मात्र के प्राप्त कि कार्य के कार्य कि कार्य के कार्य कि कार्य के कार्य

अतः आप्त चारित सिर्वात्र मास्तिव्यनगरी

ZNY EI

W.W.

उपरोक्त टीप का कृपंया अवलोकन हो। उल्लेख है कि डॉ. आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव(प्रतिनियुक्ति पर एन.सी.टी.ई.जयपुर में नियुक्त) द्वारा मा० न्यायालय जयपुर में विभाग के आदेश दिनांक 25. 3.2015 के विरूद्ध याचिका क्र0 5737/2015 तथा स्पेशच अपील(रिट) नं. 1080 प्रस्तुत की गई थी। मा०उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त याचिका एवं अपील पर दिनांक 05.2.2016 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है:—

"In view of above discussion, we are not inclinif to uphold the impugned judgment of learned single judge and also to not agree with the view expressed therein, in so far as in upholds the order dated 25.03.2015 and the consequential order dated 29.04.2015. While setting aside

P-1-2/c

P. 124/c

मंत्री जी.

छब्बोस २ सचिवालय

विषय: - W. P. NO. 5737/15 आर्थे. के असूकी विकस्य प्रविध्व आंचा करिया केंद्र आहरा 1 W. A. Ho. 1080/2015.

का विभाग

超级第:一一一一

the impugned judgment to that extent, we allow the appeal and quash and set aside the orders dated 25.03.2015 and 29.04.2015 relieving the appellant, with direction to respondent NCTE to forthwith allow the appellant to resume the duties on the post of Regional Director, NCTE, NRC, Jaipur, to complete the remainder of the tenure of three years. Period between date of relieving of the appellant and till hi rejoins shall have to be treated dies-non, not entitling the appellant to any monetary benefits therefor, although this period would count towards the total tenure of three years on deputation. We however make it clear that it would be open to the respondent NCTE to again approach the Government of Madhya Pradesh for their formal condent at the time of extension of deputation for third year. Which shall be considered by the Government of Madhya Pradesh in view of the observations made herein-above, especially para 21. Supra."

उल्लेख है कि डॉ.आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव के प्रतिनियुक्ति संबंधी पृथक मूल नस्ती मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर को प्रेषित की गई है तथा अभी वापस प्राप्त नहीं हुई। अतः माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के परिप्रक्ष्य में नस्ती आगामी कार्यवाही हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

1/2/16

अ०अ०(अव पर) ओ.एस.डी (गुप्ता) अप्रां माननीय उत्त्य न्यापालयं अप्रां प्रति श्वाम के द्वारा प्रति निर्वायं डिथी ६ द्वा प्रवासन नता या वर्गी क्रियमं में अप्रद्धा डियी व र्मिश्च के प्रति द्वा किया। का अप्रति के प्रति द्वा क्षेत्रणां का अप्रति किया।

A

P-124/C

B

P-89-125/C



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - W.P. 40.5737/15 आर् के अंस्त्र के अंस्त्र के विकट्ट मूर्पियां आरोप करियां करें आर्म । W. A. 40.1080/2015 विष्युष्ट हो : -के सामित है लगा रिलेश 14119 29.4.15 JI NOTE उत्त कार्यान्ड कारका है दाना द्रीतिकां को द्वापात मुखा ग्रेमा है रे प्रेट पर 3 न्या रिवर STATIBLE STATE STATE STATE OF STATE लब म.ज. मरवाद- द्वाउँवा के पदा--21 hi and 3 miles 313200 sortaco) 40A-1 आ देसरी में पूल मर्ली mindy som mourore on with थी जिल जाती किरियमी के आधार के अस्त की गर भी। देन. अवस्त असार क्रिक्सिकी की पूछा ने एवं क्राउदां भी कारिक प्रांत है भाष रेणार्थेष अधिवन्ता भी साप सहिस गाम विषा जाना लेगा महोशान Mindy 3mi montai 601 4100 शाकेमुभो-249-अनिशाकेमुभो-17-7-14-500 कि है दिए हैं स्टिंग स्टिंग

विषय:

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंस्री, उपकुलसविव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

पूर्व पृष्ठ से :-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त फैक्स / पत्र दिनांक 23.02.2016 का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

पत्र में उल्लेख अनुसार मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डॉ.आई.के.मंसूरी,(मूल पद उपकुलसचिव) की एन.सी.टी.ई. में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 06.3.2016 से एक वर्ध तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेख है कि डॉ.मंसूरी की मूल नस्ती न्यायालय प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अति०संचालक, इंदौर को भेजी गई थी। नस्ती वापस करने हेतु पत्र दिनांक 16.2.16 द्वारा लिखा गया था, परन्तु आज दिनांक तक वापस प्राप्त नहीं हुई है।

अतः एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत। ओ.एस.डी.(गुप्ता) रूपण कांड सहमत हो लों में हेर ट्राप्ट पड़ा भड़ी 

fleig. A'

चविव / आयुक्त .प्र. **कार्यन,** खट्य शिक्षा थि। न

एफ-17-2/2015/38-3 विषयप्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.

विषयप्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

का विभाग

मंत्री जी, उच्च शिक्षा

पूर्व पृष्ठ से :-

8-127, 128 PG

पंजी0 क्र. 495/16, 496/16 एवं 511/16

P-121/c P-127/c वि0 पत्रों का कृपया अवलोकन हो। विभाग के पत्र दिनांक 21.1.16 द्वारा न्याया0प्रकरण के तारतम्य में विषयांकित नस्ती मूलतः अति0संचालक, उच्च शिक्षा इंदौर को भेजी गई थी। उक्त नस्ती अति0संचालक, इंदौर के पत्र दिनांक 29.2.16 के माध्यम से मूलतः / यथावत प्राप्त हो गई है।

2/ अति०संचालक, इंदौर अन्य पत्र क्र. 133, दिनांक 29.2.15 के मध्यम से याचिका क्र. 1080/15 डॉ.आई.के.मंसूरी विरुद्ध शासन में मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.2.16 एवं शासकीय अधिवक्ता(हाईकोर्ट जयपुर) के अभिमत को प्रति उचित कार्यवाही हेतु प्रंषित की है। शासकीय अधिवक्ता का अभिमत पृ 129से 135/सी. पर तथा मा० न्यायालय का निर्णय पृ. 140 से 169/सी. पर कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

P-100/c

3 / इसके अतिरिक्त एन.सी.टी.ई.नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.2. 2016 का भी कृपया अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके द्वारा माठन्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में डॉ.आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव की एन.सी.टी.ई. में प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 06.3.16 से आगामी एक वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अतः टीप पैरा-2 एवं 3 के परिप्रेक्ष्य में नस्तो प्रकरण के निराकरण के संबंध में निर्णय लिए जाने हेत प्रस्तत।

निराकरण के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत।

3-44 ( \$ ( ) 31 (3) (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (16)

3-44 (1

माकान्त उमराव साधव/आयुक्त स्वाम, उस्य शिक्षा

शक्षमुभी-196-वनिशक्षमभी-17-7-15-5,00,000

R-1819/2015/38-3 四5-17-2/2015/38-3 अवधि प्रतिनियुक्ति में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंसूरी, विषय: डब्बीस-२ सचिवालय उपकुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। का विभाग पूर्व पृष्ठ से :-दियां है। इस्पा उत्पालपीन 2)4 & 3444147 3921-1 याह सहसत हों तो SLP उत्पार्शियां से प्रशासकीय अने जात मारा नारें। PS(NE) 21HANT STEPRENT \$ 584316 विशेष कर्णान्यस्य अधिकारी म.प्र. शासन, सच्च शिक्त विधान, नोपाल 🔹 मंगी अ ·3 न्या /शला मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग समाकान्त उमराव तक नेकी शिया एवं कौशस विकास, उच्च शिक्षा सविव/आयुक्त A TOWN TOWN 11/3/4

K.NO.1819/8015/88-3 विषय: - W.P. No. दुन्दुन्/ 15 मार्ड के. जंग्यूरी किस्टर यूपियन का विभाग आप देशिया क्ये कार्य स्वा भ में 1080/2015. स्ते सहरके Vo. 28/2016/38-3 पुष्ठ 10-11/एन. पर संलग्न उद्धरण टीप का कृपया अवलोकन हो, जिसके अनुसार प्रकरण में एस.एल.पी. दायर किए जाने के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को भेजी जाना है। AD इसेर्ब पत्र 29-2-16 हमें म्हारत्र पूर 128 से 169/एप मिल्फ हैं। कृपया प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती आयुक्त, उच्च शिक्षा को अंकित करना चाहेंगे। ओ.एस.डी.(गुप्ता) JUUI UEB N-11 117 SCP 3 1014 52114A 4 332137 DI 31401131 गापालारी न तरी दे साप विभिन्न विपान के रेउमीर हेरे प्रश्व विरि farmer state of Ba: A' & HITTE -PROT मिला किया में जीने हैं में मार्स (महित्री मान्स मार्स त्या है।

10-

आर-1819/2015/38-3

डबल्यू.पी.नं० 5737/15- आई.के.मंसूरी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य तथा डबल्यू.पी. नं० 1080/2015 ्रेज्य शिक्षा का विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

पूर्व पृष्ठ से :-

विषय:

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पाल पंजी क्रमांक. प्रेंभी के 114/-पाप्र

विषय :--

## D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015 with stay application No. 15097/2015

S.B. civil writ petition 5737/2015 Dr. I.K. mansoori Vs Union of India and others में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति बाबत्।

doz

C1190

C/89

C(140

डॉ० आई.के. मंसूरी, उप कुलसचिव, द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 5737/2015 उनके एनसीटी रिजनल सेंटर, जयपुर में प्रतिनियुक्ति वापस करने एवं शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के आदेश के परिपालन न करने के कारण निलंबन के विरोध माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान खण्डपीठ जयपुर के समक्ष दायर किया

प्रकरण में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर को प्रकरण प्रभारी 2. अधिकारी नियुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान उनके निलंबन आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 05.11.2015 को अंतिम निर्णय पारित करते हुए डॉ0 आई.के. मंसूरी को निर्देशित किया कि वे शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2015 के परिपालन में कार्यभार ग्रहण करे।

डॉ० आई.के. मंसूरी द्वारा डब्ल्यू.पी. 5737 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 05.11. 2015 के विरोध में डबल बेंच के समक्ष सिविल स्पेशल अपील 1080/2015 दायर की जिसमें प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया।

- माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ, जयपुर ने दिनांक 05.02.2016 को अंतिम निर्ण पारित किया, जिसमें शासन के द्वारा रखे गये पक्ष को अमान्य करते हुए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अमान्य किया गया साथ ही डाँ० आई.के. मंसूरी द्वारा प्रस्तुत अपील को मान्य किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनसीटी को यह निर्देशित किया कि वे डॉ० आई.के. मंसूरी की सेवायें क्षेत्रीय संचालक, एनसीटी, जयपुर में तीन वर्षों के लिये ले साथ ही मध्यप्रदेश शासन को निर्देशित किया गया है कि वे डॉ0 आई.के. मंसूरी की प्रतिनियुक्ति के आदेश समय-समय पर तीन वर्ष तक बढाए।
- इस संबंध में श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राजस्थान, खण्डपीठ जयपुर के द्वारा अभिमत दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है क्योंकि सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन के द्वारा एक वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी।
- प्रकरण की संक्षेपिका संलग्न हैं।
- प्रकरण में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति हेतु माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा का प्रशासकीय अनुमोदन पूर्व पृष्ठ एन-11 पर प्राप्त हो चुका है।

पंजी क्रमांक. !!५/ ३५२४ /- ध्राप्त्र / १६

विषय:-

D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015 with stay application No. 15097/2015

in

S.B. civil writ petition 5737/2015 Dr. I.K. mansoori Vs Union of India and others में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति बाबत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जयपुरं के अभिमत अनुसार विषयांकित प्रकरण में एस.एल.पी. दायर की जाना है। कृपया D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015 with stay application No. 15097/2015 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02. 2016 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमित हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर अंकित करना चाहे।

अन्त में अनुसार एक एक भी रायर करते की अनुसार निकार के जार का कार्ट किया की अनुसार निकार किया की अनुसार निकार किया की अनुसार करते की अनुसार निकार किया की अनुसार निकार किया की अनुसार करते की अनुसार निकार किया की अनुसार करते की अनुसार की अनुसार की अनुसार करते की अनुसार की अनुसार करते की अनुसार की अनुसार की अनुसार की अनुसार करते की अनुसार करते की अनुसार की

जिल्ला किया

संगिकान्त उनराव संगिक/आयुक्त प्र. जायन, उच्च शिक्षा विभाग

3348